समस्त पत्राचार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय को, टाइटल से, नाम से नहीं संबोधित होने चाहिए।
टेलिग्राम: इंडमिनिस्ट्री
टेलेक्स: 031-66565
फैक्स: 011-23062626

संख्या 9/4/2011-डीबीए-II एनईआर.
भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)
उद्योग भवन नई दिल्ली -110011
दिनांक 8 फरवरी, 2013

सेवा में,

प्रधान सचिव (उद्योग) असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा सरकार।

विषय: कैल्साइन्ड पैट्रोलियम कोक (सीपीसी) तथा बिटुमिन इमल्शन का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत राजसहायता की पात्रता।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 के अंतर्गत राजकोषीय प्रोत्साहनों तथा अन्य रियायतों के पैकेज की घोषणा के उपरांत असम राज्य सरकार की तरफ से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या कैल्साइन्ड पैट्रोलियम कोक (सीपीसी) तथा बिटुमिन इमल्शन दोनों के विनिर्माण में लगी इकाइयों एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत राजसहायता हेतु पात्र हैं अथवा नहीं?

2. अब इस मामले की इस विभाग में जांच की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि सीपीसी तथा बिटुमिन इमल्शन के विनिर्माण में लगी इकाइयां एनईआईआईपीपी, 2007 की निषेध सूची के अंतर्गत आती हैं क्योंकि सीपीसी तथा बिटुमिन इमल्शन, दोनों के विनिर्माण में इस्तेमाल किया गया कच्चा माल पैट्रोलियम रिफाइनरियों का उप-उत्पाद है और इसलिए एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत राजसहायता हेतु पात्र नहीं हैं।

भवदीय

(अरूण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23063090

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (उद्योग), असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा सरकार।
2. सीएमडी, एनईडीएफआई

(अरूण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23063090